

रोस्टर पंजिका

1 पदनाम	2 उप निदेशक	3 भर्ती की शैतियां:	4 पदोन्नति	5 कॉडर में पदों की संख्या (अर्थात् कॉडर स्ट्रेथ	6 अ.ज.जा	7 अ.ज.जा	8 (20.11.1997)	9	10	11
4 आरक्षण का प्रावधान प्रतिशत	अ.ज.जा. (ST) 12% अ.जा. (SC) 16% (पदोन्नति भर्ती में)									
पूर्व के वर्षों से अग्रोषित आरक्षण (लैकलॉग)	भर्ती का वर्ष									
अ.जा.	अ.ज.जा.	कौ गई भर्ती का विवरण	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा. / अ.ज.जा. / पि.व. / अति.पि.व. / आ.क.व. है, यदि नहीं तो नहीं लिखें	अ.जा.	अ.ज.जा				
		रोस्टर एवं बिन्यु संख्या	व्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. के लिए							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1995-96	1	UR	श्री एस. एम. शर्मा	1995-96	नहीं				अनारक्षित
	1995-96	2	UR	श्री ए.एल.सिरोया	1995-96	नहीं				अनारक्षित
	1996-97	3	UR	श्री गिरधर सिंह	1996-97	नहीं				अनारक्षित
	1996-97	4	UR	श्री पी.आर. सोनगरा SC	1996-97	नहीं				अनारक्षित SC (1)
	1997-98	5	UR	श्री ए.के. चौधरी	1997-98	नहीं				अनारक्षित
	1998-99	6	UR	श्री एम.एस. मेहता	1997-98	नहीं				अनारक्षित
	1998-99	7	SC (1)	श्री एस.आर. मंजरी	1998-99	हां				आरक्षित सामान्य से समायोजित
	1998-99	8	UR	श्री पी.एस. गुप्ता	1998-99	नहीं				अनारक्षित
	1999-2000	प्रतिस्थापन बिन्यु (8.1)	ST (1)	श्री एन.के. रस्तोगी	1999-2000	हां				आरक्षित अ.ज.जा. के स्थान पर सामान्य
	1999-2000	1	UR	श्री ए.के. पटवारी	1999-2000	नहीं				अनारक्षित
	1999-2000	2	UR	श्री भागीरथ सोनी	1999-2000	नहीं				अनारक्षित
	2000-2001	3	UR	श्री ए.एम. रहमानी	2000-2001	नहीं				अनारक्षित
	2000-2001	4	UR	श्री एस.सी. शर्मा	2000-2001	नहीं				अनारक्षित
	2001-2002	5	UR	श्री आर.एस. बैरवा SC	2001-2002	नहीं				अनारक्षित SC (2)
	2001-2002	6	UR	श्री एच.सी. श्रीवास्तव	2001-2002	नहीं				अनारक्षित
	2001-2002	7	SC (2)	श्री पी.एल. जोशी	2001-2002	हां				आरक्षित सामान्य से समायोजित
	2001-2002	8	UR	श्री नैमराज शाहलोट	2001-2002	नहीं				अनारक्षित
	2002-2003	प्रतिस्थापन बिन्यु (8.1)	ST (2)	श्री के.ए. मल्लौत्रा	2002-2003	हां				आरक्षित अ.ज.जा. के स्थान पर सामान्य
	2002-2003	1	UR	श्री वी.डी. गुप्ता	2002-2003	नहीं				अनारक्षित
		2	UR			नहीं				अनारक्षित
		3	UR			नहीं				अनारक्षित

उप शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक 13(2)श्रानि/ 2000 दिनांक 08.01.2004 के तहत 10.06.2002 से उप निदेशक के 06 पद (रोस्टर बिन्यु संख्या क्रमशः 3 से 8 तक) समाप्त कर दिये गये हैं।

न्यायालय के निर्देशानुसार 06 पदों को छाया पद मानते हुए वर्ष 2002-03 तक की पदोन्नति की गई।